राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6944/2025

रवि कुमार पुत्र श्री देवी लाल मीना, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी वॉर्ड संख्या 16, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (गैर-राजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आरएस चौधरी।

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री मुकेश दवे, एजीसी।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>02/04/2025</u>

1. याचिकाकर्ता, जो कि नर्सिंग ऑफिसर के पद का आकांक्षी है, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 20.03.2025 के आक्षेपित संसूचना और दिनांक 05.03.2025 के बैठक के कार्यवृत्त को रद्द करने की मांग करता है, जिसके द्वारा दिनांक 05.05.2023 के विज्ञापन के अनुसरण में उक्त पद के लिए उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, याचिका में अभिवाक् किये गए सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.05.2023 के विज्ञापन के अनुसार अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता

हेतु 70% भारांक और अनुभव हेतु 30% के आधार पर निर्धारित की गई थी। उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मिर्जेवाला में संविदा आधार पर नर्स ग्रेड-II के रूप में 1,201 दिनों तक सेवा दी थी और दिनांक 23.05.2023 को अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। उसके दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 07.10.2023 को किया गया था, और दिनांक 06.12.2024 को प्रकाशित अंतिम चयन सूची में उसे 76.128% अंकों के साथ क्रमांक 1853 पर रखा गया था। तत्पश्चात, उसे 09.01.2025 को नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया और नियुक्ति सूची में क्रमांक 1864 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिंदूमलकोट, श्रीगंगानगर में पदस्थापित किया गया।

2.2. 05.04.2022 को, याचिकाकर्ता ने पी.एस. मटीली राठान, श्री गंगानगर में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें आरोप था कि गुरप्रीत सिंह एवं अन्य लोगों ने गलत तरीके से उसकी 'किन्नू' फसल की कटाई की, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। जब उसने 29.03.2022 को उनका सामना किया, तो उन्होंने उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप 05.04.2022 दिनांक की एफ.आई.आर. संख्या 0049/2022 भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 341 और 323 के अन्तर्गत अभियुक्त- श्रवण कुमार के विरुद्ध दर्ज की गई।

2.3. प्रतिशोध में, अभियुक्त-श्रवण कुमार की पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी ने पी.एस. मटीली राठान, श्री गंगानगर में एफ.आई.आर. संख्या 50/2022 दिनांकित 05.04.2022 दर्ज करवाई, जिसमें आरोप था कि याचिकाकर्ता ने 29.03.2022 को उसके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणामस्वरूप, आरोप पत्र दाखिल किया गया और 11.08.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री गंगानगर द्वारा आरोप विरचित किए गए।

2.4. नियुक्ति के पश्चात्, याचिकाकर्ता का चिकित्सीय तथा पुलिस सत्यापन किया गया। पुलिस अधीक्षक, श्री गंगानगर ने 16.01.2025 को सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें उसके विरुद्ध लंबित एफ.आई.आर. संख्या 50/2022 की पुष्टि की गई।

2.5. 14.01.2025 को, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 4 से उसे पदग्रहण की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 4 की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय समिति ने 05.03.2025 को कार्मिक विभाग के 04.12.2019 के परिपत्र के अनुसार उसकी नियुक्ति अस्वीकार करने का निर्णय लिया। अतः, यह याचिका।

3. प्रत्यर्थीगण द्वारा उनके उत्तर में लिया गया सुसंगत अभिमत निम्नलिखित है:-

3.1. याचिकाकर्ता की नियुक्ति उसके विरुद्ध पी.एस. मटीली राठान, श्री गंगानगर में दर्ज एफआईआर संख्या 50/2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 447 और 354 के अंतर्गत लंबित एक आपराधिक मामले के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। यह मामला एक महिला की लज्जा भंग करने के आरोपों से संबंधित है, जो वर्तमान में विचाराधीन है ।

3.2. कार्मिक विभाग (डीओपी) के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के अनुसार, नैतिक अधमता के अपराधों में अंतर्वलित अभ्यर्थी, जिनमें किसी महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित अपराध भी शामिल हैं, सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाते हैं।

3.3. याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत लंबित आपराधिक मामला नैतिक अधमता के अंतर्गत आता है, जो डीओपी के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे अपात्र कर देता है। इसके अतिरिक्त, वह अपने भर्ती आवेदन में लंबित मामले का प्रकटन करने में विफल रहा, जो भर्ती दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और आगे उसकी नियुक्ति की इंकारी को न्यायोचित ठहराता है।

3.4. सीएमएचओ, श्री गंगानगर ने याचिकाकर्ता के पदग्रहण को जनहित में तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुरूप अस्वीकार करने में, कानूनी और प्रशासनिक विवेकाधिकार के भीतर कार्य किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि नैतिक अधमता के लंबित मामलों वाले व्यक्तियों को संवेदनशील सरकारी पदों पर, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, नियुक्त न किया जाए। अतः याचिका खारिज होने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना और मामले के अभिलेख तथा उससे उपाबद्ध अनुलग्नकों का भी अवलोकन किया है।

5. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामले का प्रकटन न करने के संबंध में याचिकाकर्ता पर लगाया गया छिपाव/मिथ्या निरूपण का आरोप पूर्णतः अनुचित है। निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुलग्नक-8) के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विहित प्रारूप में स्वयं किसी भी आपराधिक कार्यवाही के प्रकटन को अनिवार्य नहीं किया गया था ।

6. उपर्युक्त संदर्भ में, सर्वप्रथम और सर्वोपरि, इसी पीठ ने ***कुलजीत सिंह विरुद्ध राज्य राजस्थान & अन्य***[1], जिसका निर्णय 21.03.2025 को दिया गया था (यद्यपि वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिए किये गये आवेदन का मामला था, परन्तु उसमें प्रतिपादित सिद्धांत यहाँ भी लागू होते हैं), जिसका प्रासंगिक भाग निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया गया है:-

> *"10. यहां तक कि, अभिकथित मिथ्या निरूपण के सम्बन्ध में, प्रत्यर्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्कों, याचिकाकर्ता को उसी कारण से दोषी नहीं ठहराया जा सकता अर्थात् जब विहित आवेदन प्रारूप स्वयं लंबित आपराधिक कार्रवाइयों के प्रकटन को आज्ञापक नहीं करता था। ऐसी किसी आवश्यकता के अभाव में, याचिकाकर्ता ने सम्यक् रूप से सभी अन्य औपचारिकताओं का पालन किया। अतः मिथ्या निरूपण का कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामले की लंबितता ऐसा प्रतीत होती है कि उसमें ऐसे आरोप अंतर्वलित हैं जो या तो ईमानदारी, नैतिक अधमता अथवा लोक सेवा के लिए उपयुक्तता को प्रभावित करते हैं। मामले का ऐसे लंबित होना स्वतः ही, किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से अपात्र नहीं ठहराया जाना चाहिए, यदि वह अन्यथा योग्य, उपयुक्त और पात्र हो। इसके अतिरिक्त, अनुकंपा नियुक्ति एक कल्याणकारी उपाय है जिसका उद्देश्य अपने एकमात्र कमाने वाले मृत कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण आश्रितों द्वारा सामना की जा रही निर्धनता/वित्तीय कठिनाई को परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करके कम करना है, और अतिगहन तकनीकी आधारों पर इसे अस्वीकार करना इसके मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा ।"*

11. आगे बढ़ते हुए, ***भीमसेन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य***[2] (हाल ही में इसी पीठ द्वारा दिनांक 17.03.2025 को निस्तारित निर्णय) में, सिपाही चालक के पद पर आवेदन प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता ने "क्या आपके विरुद्ध कभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है?" के कॉलम के उत्तर में "नहीं" लिखा था। हालांकि, सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उनके विरुद्ध धाराओं 323/324/147/148/149 आईपीसी के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज थी। प्रत्यर्थीगण का अभिमत था कि तात्विक कृत्य के

छिपाव के कारण याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है। इस दलील को सर्वोच्च न्यायालय के ***रविंद्र कुमार विरुद्ध राज्य उत्तर प्रदेश व अन्य3 22 फरवरी 2024 को निस्तारित*** के निर्णय का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया । उसका सुसंगत भाग (भीमसन के निर्णय) नीचे उद्धृत किया गया है:-

"5. कोई संदेह नहीं कि प्रश्नगत पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय याचिकाकर्ता ने उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर के तथ्य का प्रकटन नहीं किया था। इसके कारण स्पष्ट हैं। वह निश्चित रूप से इस दुविधा में रहा होगा कि यदि वह इसका प्रकटन करता है, तो उसी चरण में निरर्हित घोषित किए जाने की प्रबल संभावना थी। उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उसकी दुविधा उसके इस सद्भावी विश्वास से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है कि उसे एफआईआर में झूठा फंसाया गया था, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं सौंपी गई थी। वह मुख्य अभियुक्त भी नहीं था, हालांकि, निश्चित रूप से, उन लोगों की भीड़ का हिस्सा होने के नाते उसे अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया था जो घटनास्थल पर मौजूद थे, जिसके कारण एफआईआर दर्ज हुई थी।

6. लगभग समान परिस्थितियों में, रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 5902/2012) के मामले में, जिसका निर्णय 22 फरवरी 2024 को हुआ था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान मामले के समान ही एक विवाद्यक को संबोधित किया, जहाँ एक अभ्यर्थी ने शपथ-पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं थी। इस स्थिति पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"29. Xx xxx xxx xxx यह परीक्षित करते समय कि क्या प्राधिकरण द्वारा जांच हेतु अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और युक्तियुक्त थी या नहीं, हम पाते है कि 12.04.2005 के रद्दकरण आदेश में इस निर्णय के पूर्वतर भाग में उपवर्णित चरित्र सत्यापन के प्ररूप के खंड 4 में विहित आदेश का पालन तक

*नहीं किया गया। जैसा कि **राम कुमार (उपर्युक्त)** में पाया गया था, अपीलार्थी नियुक्ति के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस पर विचार करने के बजाय, नियुक्ति प्राधिकरण ने यांत्रिक रूप से यह धारणा बना ली कि उसका चयन अनियमित और अवैध था क्योंकि अपीलार्थी ने गलत तथ्यों सहित एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था। अतः, **सतीश चंद्र यादव (उपर्युक्त)** के पैरा 93.7 में उपवर्णित बोर्ड सिद्धांतों को भी लागू करते हुए, हम पाते हैं कि दिनांक 12.04.2005 का रद्दकरण आदेश न तो निष्पक्ष है न ही युक्तियुक्त। भती की अधिसूचना के खंड 9 को इसमें ऊपर उपवर्णित मामले में अधिकथित कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।*

30. मामले के तथ्यों और इसमें ऊपर उपवर्णित विशेष परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, एक दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक मामले (जिसका अंत भी दोषमुक्ति में हुआ) का गैर-प्रकटन, वस्तुओं की योजना में कहाँ ठहरता है? मामले के विशिष्ट तथ्यों पर हमारी राय में, हम नहीं मानते कि इसे अपीलार्थी के लिए घातक माना जा सकता है। प्रत्येक गैर-प्रकटन को निरर्हता के रूप में व्यापक रूप से चित्रित करना अन्यायपूर्ण होगा और यह इस महान, विशाल और विविध देश में मौजूद जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनभिज्ञ होने के समान होगा। प्रत्येक मामला उस पर प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और उपलब्ध मिसालों को मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए, न्यायालय को वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह कभी भी एक ऐसा परिदृश्य नहीं हो सकता जो सभी पर समान रूप से लागू होता हो ।

7. उपर्युक्त के विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का हवाला देते हैं, जो **राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाम अनिल कंवरिया, (2021) 10 एससीसी 136** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था :-

"12. इस विवाद्यक/प्रश्न पर एक अन्य दृष्टिकोण से, नियोक्ता के पक्ष से विचार किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था और क्या उसे बाद में दोषमुक्त किया गया है

या नहीं। प्रश्न ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या भरोसेमंद होने के बारे में है, जिसने नियोजन के प्रारंभिक चरण में, अर्थात घोषणा/सत्यापन प्रस्तुत करते समय और/या पद के लिए आवेदन करते समय झूठी घोषणा की और/या आपराधिक मामले में शामिल होने के सारवान तथ्य का प्रकटन नहीं किया और/या उसे छिपाया। यदि सही तथ्यों का प्रकटन किया गया होता, तो नियोक्ता उसे नियुक्त नहीं भी कर सकता था। अतः, प्रश्न विश्वास का है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहाँ नियोक्ता को लगता है कि एक कर्मचारी जिसने प्रारंभिक चरण में ही मिथ्या कथन दिए है और/या सारवान तथ्यों का प्रकटन नहीं किया है और/या सारवान तथ्यों को छिपाया है, और इसलिए उसे सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता क्योंकि भविष्य में भी ऐसे कर्मचारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने या न रखने का विकल्प/चयन हमेशा नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है और जैसा कि ऊपर निर्णयों की श्रृंखला में देखा गया है, ऐसा कर्मचारी अधिकार के रूप में नियुक्ति और/या सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता है।"

8. *यद्यपि इसमें ऊपर अंतर्विष्ट टिप्पणियाँ, निस्संदेह नियोक्ता को तात्विक तथ्यों के गैर-प्रकटन/छिपाव की स्थिति में अभ्यर्थी को निरर्हित घोषित करने का विवेकाधिकार देती हैं, परंतु ज्वलंत प्रश्न यह होगा कि क्या यह नियोक्ता के उस विश्वास की कमी का मामला है जो अभ्यर्थी द्वारा किए गए गैर-प्रकटन से उत्पन्न हुआ है।?*

9. *वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता का अस्वीकृत होना ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह विश्वास की कमी पर आधारित है बल्कि केवल मनोवैज्ञानिक यांत्रिक विचार का अभ्यास प्रतीत होता है जिसमें कहा गया कि चूँकि (i) उसने एफआईआर के पंजीकरण को छिपाया; और (ii) एफआईआर का पंजीकरण उसे निरर्हित कर देता है, अतः वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था।*

10. *आक्षेपित आदेश से यह परिलक्षित नहीं होता है कि स्वतंत्र रूप से*

मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए कोई वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया गया था। निर्णय केवल याचिकाकर्ता की अपात्रता के संबंध में था, और इसी के कारण उसे अनुपयुक्त माना गया था।"

यहाँ यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि ***रवींद्र कुमार (उपरोक्त)*** *मामले में, बदले में,* ***अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य*** *में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक वृहत्तर पीठ के निर्णय का हवाला दिया गया है।*

12. यहाँ याचिकाकर्ता का मामला बहुत अधिक मजबूत है और एक उच्चतर स्तर पर है। निर्विवाद रूप से, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रत्यर्थीगण द्वारा विहित किये गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। उनके मामले में, आवेदन के प्रारूप में ऐसा कोई कॉलम या प्रश्न नहीं था जिससे अभ्यर्थी के किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होने के बारे में जानकारी सामने लाई जा सके। याचिकाकर्ता ने विहित कॉलम के अनुसार आवश्यक जानकारी भर दी और अपना आवेदन अनुलग्नक ए-5 प्रस्तुत कर दिया। चूंकि आवेदन प्रारूप में अभ्यर्थी के किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होने के संबंध में जानकारी मांगने वाला कोई कॉलम या प्रश्न नहीं था, इसलिए इसके गैर-प्रकटन के लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, जैसा भी मामला हो। ऐसी स्थिति होने के कारण, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उक्त निर्णय का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों न दिया जाए।

13. अब प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाए गए प्रतिरक्षा के मुख्य स्तम्भ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अर्थात् 04.12.2019 के परिपत्र(यह अंशतः हिंदी अंशतः अंग्रेजी में है), इसका सुसंगत भाग इस प्रकार है :-

"अतः शासन में सभी स्तरों पर एकरूपता बनाए रखने के हित में, इस विषय में पूर्व में जारी तत्संबधी सभी परिपत्रों/निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं –"

चरित्र सत्यापन के संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान इस प्रकार है:-

चरित्र। "सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित बनाता हो। उसे उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक

अधिकारी से एक उत्तम चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, और साथ ही आवेदन की तिथि से छह माह से अधिक पूर्व के न लिखे गए ऐसे दो प्रमाण-पत्र उन दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रस्तुत करने होंगे जो उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित न हों और न ही उसके संबंधी हों।

(1) किसी न्यायालय द्वारा हुई दोषसिद्धि अपने आप में सदाचार प्रमाण-पत्र के परित्याग को आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं करती। दोषसिद्धि की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि वे किसी नैतिक अधमता से या हिंसा के अपराध से संबंध नहीं रखते या किसी ऐसे आंदोलन के साथ जिसमें उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक साधनों द्वारा उखाड़ फेंकना हो, तो केवल दोषसिद्धि को ही अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए।

(2) पूर्व-कैदी, जिन्होंने कारागार में अपने अनुशासित जीवन और बाद में अपने उत्तम आचरण द्वारा स्वयं को पूर्णतः सुधरा हुआ सिद्ध किया है, सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए उनकी पूर्व दोषसिद्धि के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वे, जो ऐसे अपराधों में दोषी ठहराए गए हैं जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा शामिल नहीं है, उन्हें उस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पूर्णतः सुधर चुके माना जाएगा जो अधीक्षक, उत्तररक्षा गृह से, या यदि किसी विशेष जिले में ऐसे गृह न हों तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से जारी की गई हो।

(3) नैतिक अधमता या हिंसा से जुड़े अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों को उत्तररक्षा गृह के अधीक्षक से, या यदि उस विशेष जिले में ऐसा कोई गृह नहीं है, तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो कारागार महानिरीक्षक द्वारा इस आशय से पृष्ठांकित हो कि वे नियोजन के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उन्होंने कारागार में अपने अनुशासित जीवन और तत्पश्चात उत्तररक्षा गृह में अपने अच्छे आचरण द्वारा स्वयं को पूर्णतः सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया है ।

इस संबंध में प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार (1996 (11) CC 605) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है कि 'सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात वास्तविक परिणाम इतना सुसंगत नहीं है जितना की अभ्यर्थी का आचरण व चरित्र ।'

सेवा नियमों की अपेक्षा यह है कि 'किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने या न दिए जाने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उस पद के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय लेना चाहिए। पूर्व आचरण के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के योग्य या अयोग्य पाने का निर्णय करते समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण में अपराध की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख कर अभ्यर्थी के आचरण का आंकलन करना चाहिए।'

उक्तानुसार यह निर्विवाद है कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने /नहीं दिए जाने का निर्णय अंतिम रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को ही, सुसंगत सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर लेना होगा।। तथापि कुछ प्रकरण ऐसे प्रकृति के होंगे जिनमें स्पष्टतः यह माना जा सकता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है जबकि अन्य कुछ ऐसे प्रकरण भी होंगे जिनमें नियुक्ति से वंचित किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित/न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता । अत: नियुक्ति अधिकारियों के सामान्य मार्गदर्शनार्थ निदर्शन के रूप में ऐसी प्रकृति के प्रकरणों को यहां लेखबद्ध किया जा रहा है :-

1. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमे नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिए:-

यदि किसी भी अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न में से किसी भीप्रकार के अपराध के तहत प्रकरण **अन्वेक्षणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन (under trial)** है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिए :-

(i) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो।

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथापरिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 104) में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iv) नियोजित हिंसा या राज्य के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता है, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 में वर्णित है।

(v) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अन्तर्वलितता हो।

(vi) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराधों में अन्तर्वलितता हो।

(vii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 A (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार-दहेज) के अपराध में अन्तर्वलितता हो।

*(viii) अजा/*अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता हो।

(ix) ***लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता हो।***

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकार के अपराधों से संबंधित कोई भी सूचना जानबूझकर छिपाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।

*2. ऐसे प्रकरण/स्थितियाँ जि*नमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए:-

(i) जिन अभ्यर्थियों को आपराधिक प्रकरण में अन्वेषण में दोषी नहीं पाया गया हो तथा संबंधित भर्ती में परीक्षा परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर अन्वेषणोपरांत एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी हो।

(ii) दोषसिद्धि के मामलों में, विभाग में इस संबंध में गठित समिति जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी सदस्य होगा, अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त(antecedents), आरोपों की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ/समझौते के आधार पर प्रदान की गई है, आदि का समुचित परीक्षण कर, अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध में निर्णय लेगी।

(iii) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया हो। (दोषसिद्धि किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं/ राजकीय सेवा/ भावी जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं)।

(iv) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें दोषी करार दिया जाकर ***किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005 की धारा 24(i) का लाभ प्रदान किया गया हो****।*

समस्त नियोक्ता अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अभ्यर्थियों के चरित्र/पुलिस सत्यापन के संबंध में नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों एवं इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लेंगे। तथा उक्त प्रकृति के प्रकरणों को न तो अनावश्यक रूप-से लम्बित रखेंगे और न ही कार्मिक विभाग को संदर्भित करेंगे।

14. दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र के पाठ से यह देखा जाएगा कि वह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य दिशानिर्देशों की प्रकृति का है और किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता का न्यायनिर्णयन करने का अंतिम निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाना है। इसके अतिरिक्त, उक्त परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करते समय, उसका चरित्र और पहले का आचरण महत्वपूर्ण हैं। आपराधिक मामले का परिणाम — चाहे दोषसिद्धि हो या दोषमुक्ति — उतना सुसंगत नहीं है जितना कि उसका आचरण और चरित्र। ये दिशानिर्देश यह भी दर्शाते हैं कि सेवा नियमों के अनुसार, किसी अभ्यर्थी को आपराधिक अपराधों (स्पष्ट रूप से कोई भी अपराध, जिसमें भारतीय दंड संहिता, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, के अध्याय XVI और XVII के अंतर्गत आने वाले अपराध या नैतिक अधमता से जुड़ा कोई अपराध शामिल है) के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किए जाने के बाद भी नियोजन के लिए कोई पूर्ण या स्वचालित अयोग्यता नहीं है और कुछ शर्तों को पूरा करने पर, ऐसे अभ्यर्थी पर भी नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

14.1. *परिपत्र का व्यक्तिगत मूल्यांकन पर जोर यह दर्शाता है, और ऐसा सही है, कि इसका उद्देश्य एक अनम्य नियम पुस्तिका के रूप में कार्य करना नहीं है, बल्कि इसके बजाय उसमें परिकल्पित सामान्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना है। संदर्भ मायने रखता है। इस प्रकार, किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता के बारे में अंतिम निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। यह नियुक्ति प्राधिकारी को केवल किसी आपराधिक कार्रवाई के परिणाम पर भरोसा करने के बजाय, अभ्यर्थी के चरित्र और पहले के आचरण की समग्रता को देखने की अनुमति देता है।*

14.2. यह उन मामलों में कहीं अधिक सुसंगत हो जाता है जहाँ किसी अभ्यर्थी पर कोई लघु या एकल अपराध हो सकता है और यहाँ तक कि समय के साथ मजबूत सुधार और अच्छे आचरण का मामला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे केवल नियमित यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा खारिज कर दिया जाता है। परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के साथ इतनी कठोरता से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि एक अभ्यर्थी के अतीत को भले ही वह संदिग्ध होने या विचाराधीन होने के कारण कलंकित रहा हो बाद के सुधार और अनुकरणीय

> व्यवहार द्वारा प्रतिसंतुलित किए जाने की संभावना की अनुमति भी न दी जा सके। वर्तमान मामले में, प्रश्नगत एफआईआर के अलावा कोई अन्य दर्ज आपराधिक इतिहास नहीं है, जो कि, स्वयं भी किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। इस पर अधिक चर्चा बाद में की जाएगी।"

7. उपर्युक्त विचार में, यह प्रकट होता है कि वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए अभिलेख पर ऐसा कोई भी अभिवचन या सामग्री नहीं रखी गई है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित एवं वस्तुनिष्ठ विचार और मस्तिष्क का प्रयोग करने के पश्चात, याचिकाकर्ता को नियुक्त करने से इनकार करने के संबंध में इसके गुणावगुण के आधार पर कोई भान निर्णय लिया था।

8. इसके अतिरिक्त, स्क्रीनिंग समिति, जिसमें निदेशक स्वास्थ्य सहित चार सदस्य शामिल हैं, जो याचिकाकर्ता के नियुक्ति प्राधिकारी भी हैं, की दिनांक 20.03.2025 की रिपोर्ट को देखने से यह प्रकट होता है कि वह साधारण रूप से यह बताती है कि याचिकाकर्ता के आईपीसी की धारा 354 के साथ पठित धारा 447 के अंतर्गत एक अपराध में विचाराधीन होने की दृष्टि से, चूंकि यह मामला दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र के अध्याय XVI और XVII के अंतर्गत आता है, इसलिए वह अनुपयुक्त है और प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र है। ऐसा कोई भी निष्कर्ष और/या राय देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अन्य तर्क नहीं है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों में कोई सार है और/या उसे सौंपी गई भूमिका किसी भी तरह से नैतिक अधमता की श्रेणी में आती है और/या विचारण के लंबित रहने से उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति प्रभावित होने की संभावना है।

9. इस पीठ द्वारा ***नीरज कंवर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9517/2024, निर्णय दिनांक 27.03.2025*** के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय का संदर्भ भी लिया जा सकता है। उसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> *"21. शीर्ष न्यायालय द्वारा अधिकथित कानून और प्रत्यर्थीगण के स्वयं के दिनांक 04.12.2019 के नीतिगत दिशानिर्देशों के आलोक में, मेरी यह राय है कि नियुक्ति प्राधिकारी/प्रत्यर्थीगण के लिए यह अनिवार्य था कि वे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर, मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखें,*

जिसमें प्रश्नगत पद की स्थिति और कर्तव्यों की प्रकृति के साथ-साथ अपराध की परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, और फिर गुणों व अवगुणों के आधार पर याचिकाकर्ता की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता पर निर्णय लें।

22 से 24. Xxx xxx xxx xxx

25. मेरी राय में, नैसर्गिक न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के नियमों के अनुसार यह आवश्यक था कि प्रत्यर्थीगण कम से कम याचिकाकर्ता को लिखित रूप में यह सूचित करते कि योग्यता के आधार पर उसका चयन होने के बावजूद उसे नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा था। वह भी नहीं किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को उन कारणों पर यदि दिए जाते, प्रश्न उठाने/चुनौती देने के अवसर से भी वंचित कर दिया गया।

26. भले ही, जैसा कि तर्क दिया गया है, स्क्रीनिंग समिति के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति न देने के कारणों को प्रकट करना आवश्यक नहीं था, फिर भी वह प्रत्यर्थीगण को अभिलेख पर आवश्यक सामग्री का अभिवचन करने और प्रस्तुत करने के उनके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा, जिससे न्यायालय के अंत:करण की संतुष्टि के लिए यह दिखाया जा सके कि नियुक्ति प्राधिकारी ने अपने विवेक से, एक वस्तुनिष्ठ मानदंड पर विवेक के उचित प्रयोग के साथ, सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करने का निर्णय लिया था। यह कहना अनावश्यक होगा कि नियुक्ति प्राधिकारी में इस प्रकार निहित विवेक का प्रयोग न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त तरीके से किया जाना आवश्यक था न कि मनमाने या अनुचित ढंग से। इसके अतिरिक्त, इसे अभिलेख पर प्रदर्शित किया जाना भी आवश्यक था। प्रत्यर्थीगण उस दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

27 से 30. Xx xxx xxx xxx

31. अन्यथा भी, व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि युवाओं को आवेश के क्षण में किए गए अविवेकपूर्ण कृत्यों के प्रति एक सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो कि जानबूझकर किए गए हो भी सकते

हैं और नहीं भी। सामाजिक और ऐसा ही कानूनी दृष्टिकोण भी होना चाहिए, बेशक यह अपचारिता की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि युवाओं के अविवेकपूर्ण कृत्यों को किसी व्यक्ति के भविष्य को स्थायी रूप से कलंकित नहीं करना चाहिए। उन युवा व्यक्तियों को बरतते समय एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिन्होंने छोटे-मोटे अपराध किए हों। युवा लोग अभी भी भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में हैं। वे अक्सर आवेश में आकर कार्य करते हैं, कभी-कभी ऐसे निर्णय लेते हैं जो अच्छी तरह से सोचे-समझे नहीं होते हैं। एक दंडात्मक दृष्टिकोण जो अपेक्षाकृत छोटी गलतियों के लिए युवा व्यक्तियों को स्थायी रूप से अपराधियों के रूप में चिह्नित करता है, वह न्याय/निष्पक्षता, अपराध की पुनरावृत्ति, सुधार और समाज में पुनर्वास के सिद्धांतों के विपरीत है।

32. यह टिप्पणी करने में कोई दो राय नहीं है कि केवल एफआईआर दर्ज होने से कोई नागरिक न तो दोषसिद्ध के स्तर पर आ जाता है और न ही उसका चरित्र खराब हो जाता है। प्रत्येक नागरिक को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। वर्तमान मामले में यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता पर आरोपित कथित भूमिका ऐसी प्रकृति की नहीं है जो उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को प्रभावित करे या अन्यथा, नैतिक अधमता की सीमा को भी छूती हो।

33. इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी अपराध एक समान गंभीरता के नहीं होते हैं, और छोटी-मोटी नासमझियों को गंभीर अपराधों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उसके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं।

34. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि केवल एक लंबित आपराधिक मामले के आधार पर याचिकाकर्ता को

नियुक्ति देने से इनकार करना, जिसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है, मनमाना और असमर्थनीय है।

10. वर्तमान मामले में, स्क्रीनिंग समिति द्वारा दिए गए कारणों से यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित विचारण के आगे के विवरणों या गुणावगुण पर विचार किए बिना, उसकी अभ्यर्थिता को यांत्रिक तरीके से खारिज कर दिया गया है।

11. ऊपर वर्णित तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि यह पक्षों के बीच का एक निजी विवाद है, जो कि कटु रूप लेता प्रतीत होता है और इसमें परस्पर विरोधी एफआईआर दर्ज की गई थीं, एक याचिकाकर्ता द्वारा और दूसरी विरोधी पक्ष द्वारा। इसलिए, झूठे आरोपों के साथ मिलकर, एक दुर्भावनापूर्ण से प्रेरित एफआईआर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

12. चाहे जैसी भी स्थिति हो, यह एक विचारण का विषय है।

13. जहाँ तक याचिकाकर्ता के आचरण का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उसने किसी भी प्रकार के छिपाव या मिथ्या निरूपण का सहारा नहीं लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** शीर्षक के मामले में प्रतिपादित निर्णय निम्नानुसार निर्देशित करता है:

"38.6. उस मामले में जब चरित्र सत्यापन फॉर्म में तुच्छ प्रकृति के किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में सत्यता से घोषणा की गई है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपने विवेक से अभ्यर्थी को ऐसे मामले के निर्णय के अधीन नियुक्त कर सकता है।"

14. उक्त निर्णय के निबंधनों के अनुसार, प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता के चयन के अनुसरण में उचित आदेश पारित करके उसे नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता अन्यथा मेरिट के आधार पर पात्र पाया जाए और यदि उसे नियुक्त न करने का एकमात्र कारण एफआईआर का दर्ज होना है तो नियुक्ति पत्र याचिकाकर्ता द्वारा इस आशय का एक वचनपत्र देने के अधीन जारी किया जाएगा कि अभिकथित अपराध जिसके लिए आपराधिक कार्रवाई लंबित है, में उसकी बाद में दोषसिद्धि होने की स्थिति में, वह किसी साम्या का दावा नहीं करेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार उसकी नियुक्ति की समीक्षा की जाएगी।

15. उपर्युक्त निबंधनों के अनुसार याचिका स्वीकार की जाती है।

16. वर्तमान आदेश की वेब प्रति के साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण के पास 30 दिवस की अवधि के भीतर सम्पर्क करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

17. अंत में, मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि जितनी अवधि के लिए याचिकाकर्ता सेवा से बाहर रहा, वह कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर किसी भी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, उसे सभी काल्पिनिक लाभों सहित वरिष्ठता उसी तिथि से दी जाएगी जिस तिथि से उसके समकक्षों को उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी।

18. लंबित आवेदन, कोई हो, भी निस्तारित किये जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

22-/जितेन्द्र/सुमित

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं.

संदर्भ:

1 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11588/2023

2 एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 9380/2021

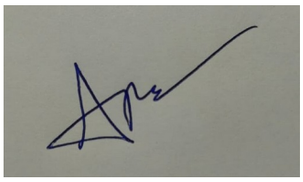
3 सिविल अपील संख्या 5902/2012, 22.02.2024 को निर्णीत

4 (2016) 8 एससीसी 471

5 2016 (8) एससीसी 471

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान